मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
कार्यालय वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन (म.प्र.)
उद्यन मार्ग, दमदमा, उज्जैन (म.प्र.)–456010

E-Mail : ccf.ujn@mp.gov.in
Ph. (0734) 2512101
Fax (0734) 2512102

क्रमांक/मा.चि./2020/4750 उज्जैन, दिनांक 10/09/2020

प्रति,

Registrar
National Green Tribunal,
Central Zonal Bench Bhopal

विषय :– Copy of Order in Original Application No.28/2020(CZ) (Rakesh Keshari & Anr. Vs State of Madhya Pradesh & Ors.).

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. / D.No./F.S./2020/128 दिनांक 01.07.2020 ।

--00--

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा श्री राकेश केसरी, विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य के प्रकरण मे उल्लेखित भूमि सर्वे नं. 342 ग्राम दौलतपुर, तहसील सोनकच्छ जिला देवास की वनभूमि पर वृक्षो की कटाई कर अतिक्रमण प्रयास किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया है।

प्रकरण के संबंध में वस्तुस्थिति प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः–

01. प्रकरण में उल्लेखित आवेदनकर्ता राकेश केशरी न होकर राजेश केशरी है।
02. राजेश केशरी व उनके अन्य भाई प्रमोद, प्रकाश एवं प्रताप पिता हीरालाल केशरी निवासी हीरा टायर देवास नाका लसूडिया मोरी जिला इंदौर द्वारा उक्त शिकायती आवेदन मा0 न्यायालय में दर्ज करवाया गया है।
03. मा0 न्यायालय द्वारा प्रसारित आदेश दिनांक 29–06–2020 अनुसार आवेदनकर्ता को आवेदन मय अभिलेखों सहित एक सप्ताह में इस कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने थे, किन्तु आवेदक या उनके प्रतिनिधी द्वारा कोई अभिलेख इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है।
04. मा0 न्यायालय के आदेश के पालन में सक्रियता से वनमण्डाधिकारी क्षेत्रीय वनमण्डल देवास से प्रकरण में आवेदनकर्ता को बुलवाया जाकर उनके आवेदन एवं अभिलेखों में उल्लेखित तथ्यों की जॉच कर वस्तुस्थिति प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।
05. वनमण्डाधिकारी क्षेत्रीय वनमण्डल देवास द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार :–

उपरोक्त प्रकरण में 1. आवेदक – श्री प्रमोद केशरी एवं श्री राजेश केशरी पिता हीरालाल केशरी निवासी हीरा टायर देवास नाका लसुडिया मोरी जिला इन्दौर है। 2. अनावेदक – श्री जसपाल सिंह सैधव पिता श्री गणपत सिंह सैधव निवासी ग्राम दौलतपुर तहसील सोनकच्छ जिला देवास है।

शिकायत संबंधी मुख्य तथ्य निम्नानुसार है–

A. श्री जसपाल सिंह पिता श्री गणपत सिंह सैधव निवासी ग्राम दौलतपुर द्वारा 25.09.19 को श्री प्रमोद एवं प्रकाश पिता हीरालाल केशरी के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोनकच्छ, देवास को इनके द्वारा शास. सर्वे नं. 346 पर अतिक्रमण कर अपने खेत का रास्ता अवरूद्ध करने बाबद शिकायत की गयी थी । जिसका प्रकरण मान. न्यायालय तहसीलदार सोनकच्छ में प्रकरण क्र. 005 / अ–68 / 2019–20 दर्ज किया जाकर दल गठित कर जांच उपरांत पटवारी हल्का नम्बर 64 दौलतपुर में शास. सर्वे नं. 346 में 0.180 हेक्टर चरनोई भूमि पर श्री प्रमोद केशरी द्वारा रास्ता अवरूद्ध किया जाना, सही पाये जाने पर दिनांक 07.11.19 को 85 मीटर लम्बाई एवं 18 मीटर चौड़ाई में रास्ते की रूकावट हटवाकर श्री जसपाल सिंह सैधव के खेत के रास्ते को साफ किया गया । इसके पश्चात मान. न्यायालय तहसीलदार सोनकच्छ द्वारा दिनांक 17.02.20 को प्रकरण समाप्त किया गया। (निर्णय प्रति संलग्न)

B. उक्त विवाद/निर्णय से व्यथित होने के पश्चात श्री प्रमोद केशरी द्वारा वनविभाग तथा अन्य वरिष्ठ कार्यालय में जसपाल सिंह द्वारा जंगल से होकर (सर्वे नं. 342) वृक्ष कटाई, जलाई कर अपने खेत का रास्ता निर्मित किये जाने बाबद शिकायत कि गयी ।

C. श्री प्रमोद केशरी ने पूर्व में दिनांक 12.02.2020 को ग्राम दौलतपुर तह. सोनकच्छ की वनभूमि पर रास्ता निकालने की शिकायत दर्ज करायी थी , जिसकी स्थल जांच दिनांक 04.03.20 को परिक्षेत्र सहायक टोकखुर्द दक्षिण परिक्षेत्र देवास द्वारा गठित दल के साथ की जाकर मौका पंचनामा प्रतिवेदन दिया है । (संलग्न है)

D. मौके पर जांच के दौरान रिजर्व वन कक्ष क्र. 55, बीट तालोद, शास. सर्वे नं. 342 में वन सीमा पर खोदी गयी पशु अवरोधक खंती के किनारे से रास्ता इन्दौर–भोपाल मार्ग से वनक्षेत्र से होकर खेतो के निजी सर्वे नं. 341, 324, 321 की ओर पहुॅच मार्ग के रूप में पाया गया ।

E. दिनांक 13.07.2020 को दोनो पक्षों को दौलतपुर वन परिसर में बुलाकर बयान दर्ज किये गये । बयानो में श्री राजेश एवं प्रमोद केशरी ने जसपाल सिंह द्वारा वनभूमि से होकर पेड़ो की कटाई जलाई कर रास्ता निर्मित करने बाबद बयान लिखवाया गया । इसी प्रकार श्री जसपाल सिंह सैधव द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई नया रास्ता खड़े वृक्षों की कटाई कर निर्मित नही किया गया । यह हमारा व अन्य कृषकों का खेतो पर जाने का पुराना पैदल रास्ता है। मेरे द्वारा वन भूमि को नुकसान नही पहुॅचाया गया है।

F. पुनः दिनांक 09.08.20 को स्थानीय ग्रामवासी एवं वन स्टॉफ के साथ मौके पर जाकर सुक्ष्मता से निरीक्षण किया । जिसमें इन्दौर–भोपाल हाईवे से लगे राजस्व क्षेत्र सर्वे नं. 346 के मध्य से होकर मार्ग वन सीमा कक्ष 55 एवं शासकीय सर्वे नं. 342 के किनारे पुरानी खोदी गयी पशु अवरोधक खंती के बगल से होता हुआ, कुल 425 र.मी. लम्बाई में निजी भूमि के खेतो जिनका सर्वे नं. 321 पर जाकर रास्ता समाप्त हो जाता है तथा 321 से लगे हुये सर्वे नं. 322, 323, 325 एवं 324 है। मौके पर के.एम. एल. फाईल तैयार की गयी।

मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि श्री जसपाल सिंह सैधव व अन्य लाभान्वितों द्वारा इन्दौर–भोपाल हाईवे से खेतो तक पहुंचने के लिए पुराना पैदल रास्ता 425 र.मी. को गाड़ीदान के रूप में 3 मीटर चौड़ा खड़े वृक्षों की झुकी हुई डालियों/शाखाओं को काटकर, लॉपिंग कर एवं 10–15 सेमी वन झाड़ियों को सतह से सफाई कर पैदल रास्ते को गाड़ीदान रास्ते के रूप में परिवर्तित किया गया । किसी भी बड़े वृक्षों को जमीदोज किया जाना नही पाया गया । चूंकी खड़े वृक्षों की कटाई नही पायी गयी है एवं वन झाड़ियो की भूमि सतह से कटाई एवं लॉपिंग कार्य पैदल रास्ते को बैल गाड़ी/ट्रेक्टर निकालने हेतु पाया गया है। आपत्तिजनक अवैध कटाई नही पाई गयी है। उक्त भूमि पर पूर्ण अधिपत्य वन विभाग का ही है एवं नौईयत वन भूमि ही है।

उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा वृक्षों की अवैध कटाई, जलाई कर वन भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास परिलक्षित नही होता है। पूर्ण प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :–

1. न्यायालय तहसीलदार सोनकच्छ के द्वारा जांच एवं निर्णय की प्रति।
2. चरनोई सर्वे 346, 0.180 हेक्टर बदेखली का पंचनामा ।
3. पंचनामा दिनांक 04.03.20।
4. बयान श्री प्रमोद एवं राजेश केशरी दिनांक 13.07.20।
5. बयान श्री जसपाल सिंह सैधव दिनाक 13.07.20।
6. स्थल का गुगल मेंप एवं के.एम.एल.फाईल सर्वे नं. सहित।
6. पंचनामा दिनांक 09.08.20।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(अजय कुमार यादव)
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

म.प्र. शासन - वन विभाग

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास (म.प्र.)

☎ O: (07272) 253020, R (07272) 252449 Email- dfodewas@mpforest.org, dfodewas@rediffmail.com

क्रमांक / DM / 2020 / 5102 देवास, दिनांक 19-8-20

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

विषय :– National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi Order dated 29.06.2020.

संदर्भ :– आपका पत्र क्र./मा.चि./2020/3207 दिनांक 08.07.2020 एवं 3993 दिनांक 10.08.2020 ।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से श्री राजेश केसरी एवं विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य के प्रकरण में उल्लेखित भूमि सर्वे नं. 342 ग्राम दौलतपुर तहसील सोनकच्छ जिला देवास की वनभूमि पर वृक्ष की कटाई कर अतिक्रमण किये जाने संबंधी एनजीटी के निर्णय से संबंधित जांच प्रतिवेदन चाहा गया है। जिसकी उपवनमण्डल अधिकारी देवास एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी देवास द्वारा मौका पंचनामा एवं जांच करवाकर जांच रिपोर्ट पत्र के संलग्न सादर संप्रेषित है।

संलग्न :– उ.व.म.अ.देवास का प्रतिवेदन

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल (क्षे.) देवास

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक 5560 28/8/20

स्था./व्यय/स्टेनो/निरीक्षण
तै.प./मा.चि./राजस्व/

मु.व.सं. उज्जैन

24/8

kachole d:\dm data_new\dm letter all\dm letter all 2020.docx266

म.प्र. शासन - वन विभाग

कार्यालय उप वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास (म.प्र.)

क्रमांक/2020/ 1306 देवास, दिनांक 14/8/2020

प्रति,

वनमण्डल अधिकारी महो.
वनमण्डल (क्षे.) देवास

विषय :- National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi Order dated 29.06.2020.

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 4707 दिनांक 06.08.2020 ।

---00---

उपरोक्त प्रकरण में 1. आवेदक – श्री प्रमोद केशरी एवं श्री राजेश केशरी पिता हीरालाल केशरी निवासी हीरा टायर देवास नाका लसुडिया मोरी जिला इन्दौर है। 2. अनावेदक – श्री जसपाल सिंह सैधव पिता श्री गणपत सिंह सैधव निवासी ग्राम दौलतपुर तहसील सोनकच्छ जिला देवास है।

शिकायत संबंधी मुख्य तथ्य निम्नानुसार है–

1. श्री जसपाल सिंह पिता श्री गणपत सिंह सैधव निवासी ग्राम दौलतपुर द्वारा 25.09.19 को श्री प्रमोद एवं प्रकाश पिता हीरालाल केशरी के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोनकच्छ, देवास को इनके द्वारा शास. सर्वे नं. 346 पर अतिक्रमण कर अपने खेत का रास्ता अवरूद्ध करने बाबद शिकायत की गयी थी । जिसका प्रकरण मान. न्यायालय तहसीलदार सोनकच्छ में प्रकरण क्र. 005/अ–68/2019–20 दर्ज किया जाकर दल गठित कर जांच उपरांत पटवारी हल्का नम्बर 64 दौलतपुर में शास. सर्वे नं. 346 में 0.180 हेक्टर चरनोई भूमि पर श्री प्रमोद केशरी द्वारा रास्ता अवरूद्ध किया जाना, सही पाये जाने पर दिनांक 07.11.19 को 85 मीटर लम्बाई एवं 18 मीटर चौड़ाई में रास्ते की रूकावट हटवाकर श्री जसपाल सिंह सैधव के खेत के रास्ते को साफ किया गया । इसके पश्चात मान. न्यायालय तहसीलदार सोनकच्छ द्वारा दिनांक 17.02.20 को प्रकरण समाप्त किया गया। (निर्णय प्रति संलग्न)

2. उक्त विवाद/निर्णय से व्यथित होने के पश्चात श्री प्रमोद केशरी द्वारा वनविभाग तथा अन्य वरिष्ठ कार्यालय में जसपाल सिंह द्वारा जंगल से होकर (सर्वे नं. 342) वृक्ष कटाई, जलाई कर अपने खेत का रास्ता निर्मित किये जाने बाबद शिकायत कि गयी ।

3. श्री प्रमोद केशरी ने पूर्व में दिनांक 12.02.2020 को ग्राम दौलतपुर तह. सोनकच्छ की वनभूमि पर रास्ता निकालने की शिकायत दर्ज करायी थी , जिसकी स्थल जांच दिनांक 04.03.20 को परिक्षेत्र सहायक टोकखुर्द दक्षिण परिक्षेत्र देवास द्वारा गठित दल के साथ की जाकर मौका पंचनामा प्रतिवेदन दिया है । (संलग्न है)

4. मौके पर जांच के दौरान रिजर्व वन कक्ष क्र. 55, बीट तालोद, शास. सर्वे नं. 342 में वन सीमा पर खोदी गयी पशु अवरोधक खंती के किनारे से रास्ता इन्दौर–भोपाल मार्ग से वनक्षेत्र से होकर खेतो के निजी सर्वे नं. 341, 324, 321 की ओर पहुँच मार्ग के रूप में पाया गया ।

कार्यालय वन मण्डल (क्षे.) देवास (म.प्र.)
आवक
17 AUG 2020
आवक क्र.– 9241

5. दिनांक 13.07.2020 को दोनों पक्षों को दोलतपुर वन परिसर में बुलाकर बयान दर्ज किये गये। बयानों में श्री राजेश एवं प्रमोद केशरी ने जसपाल सिंह द्वारा वनभूमि से होकर पेड़ों की कटाई जलाई तक रास्ता निर्मित करने बाबद् बयान लिखवाया गया। इसी प्रकार श्री जसपाल सिंह सेंधव द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा किसी प्रकार को कोई रास्ता खड़ें वृक्षों की कटाई कर निर्मित नही किया गया। यह हमारा व अन्य कृषकों का खेती पर जाने का पुराना पैदल रास्ता है। मेरे द्वारा वन भूमि को नुकसाना नही पहुंचाया गया है।

6. पुनः दिनांक 09.08.2020 को स्थानीय ग्रामवासी एवं वन स्टॉफ के साथ मौके पर जाकर सुक्ष्मता से निरीक्षण किया। जिसमें इंदोर–भोपाल हाईये से लगे राजस्व क्षेत्र सर्वे नंबर 346 के मध्य से होकर मार्ग वन सीमा कक्ष 55 एवं शासकीय सर्वे नंबर 342 के किनारे खोदी गई पशु खंती के बगल से होता हुआं कुल 425 र.मी. लबांई में निजी भूमि के खेतो जिनका सर्वे नंबर 321 पर जाकर रास्ता समाप्त हो जाता है तथा 321 से लगे हुये सर्वे नंबर 322,323,325 एवं 324 है। मोके पर के.एम.एल. फाईल तैयार की गई।

मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि श्री जसपालसिंह सैंधव व अन्य लाभान्वितों द्वारा इंदौर भोपाल हाईवे से खेतों तक पहुंचने के लिए पुराना पैदल रास्ता 425 र.मी. को गाड़ीदान के रूप में 3 मीटर चौड़ा खड़ें वृक्षों की झुकी हुई डालियों/शाखाओं को काटकर लॉपिग कर एवं 10–15 से.मी. वन झाड़ियों को सतह से सफाई कर पैदल रास्ते को गाड़ीदान रास्ते के रूप में परिवर्तित किया गया। किसी भी बड़े वृक्षों को जमीदोज किया जाना नही पाया गया। चुंकि खड़ें वृक्षों की कटाई नही पायी गयी है एवं वन झाड़ियों की भूमि सतह से कटाई एवं लॉपिग कार्य पैदल रास्ते को बैल गाड़ी/ट्रेक्टर निकलाने हेतु पाया गया है। आपत्तिजनक अवैध कटाई नही पायी गयी है उक्त भूमि पर पूर्ण अधिपत्य वन विभाग का ही है एवं नोईयत वन भूमि ही है। प्रतिवेदन सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

संलग्न :–

1. न्यायालय तहसीलदार सोनकच्छ के द्वारा जांच एवं निर्णय की प्रति।
2. चरनोई सर्वे 346, 0.180 हेक्टर बेदखली का पंचनामा।
3. पंचनामा दिनांक 04.03.19
4. बयान श्री प्रमोद एवं राजेश केशरी दिनांक 13.07.2020
5. बयान श्री जसपालसिंह सेंधव दिनांक 13.07.2020
6. स्थल का गुगल मेंप एवं के.एम.एल फाईल सर्वे नंबर सहित।
7. पंचनामा दिनांक 09.08.2020

(जयवीर सिंह)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र क्षै. देवास

(ए.के.श्रीवास्तव)
उप वनमण्डल अधिकारी
उप वनमण्डल क्षै. देवास

5668800

फॉर्म 'अ'

(परिपत्र दो की कण्डिका 6 देखिये)

आदेश – पत्र (रेव्हेन्यू आर्डर शीट) 0005/अ-68/2019-20

न्यायालय तहसीलदार सोनकच्छ जिला देवास के न्यायालय में मामला कमांक ....सन

विषय ....शासकीय रास्ता विवाद....बाबद ....प्रकरण की श्रेणी ...005/अ-68/2019–20

ग्राम ....दौलतपुर.. बन्दोबस्त कमांक ....पटवारी हल्का कमांक ......

तहसील सोनकच्छ कलेक्टर का कमांक .... सन् 20...............20......................

अनुविभागीय अधिकारी का कमांक ..../ तहसीलदार का कमांक ....सन 20.......

.20..... नायब तहसीलदार का कमांक .... सन 20.......... 20.

आदेश कमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही	जहां आवश्यक हो पर्चो अथवा वकीलो के हस्ताक्षर आदेशो के पालन करवाकर लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और प्रकरण की तारीख
(1)	(2)	(3)
21/11/19	जसपालसिंह आदि ग्रामीण जनता ग्राम दौलतपुर के द्वारा ग्राम दौलतपुर की शासकीय भूमि सर्वे नं. 325, 327, 346 पर प्रताप सिंह पिता हीरालाल, प्रमोद पिता हीरालाल आदि निवासी देवास नाका इन्दौर के द्वारा शिकायतकर्ता की निजी भूमि से लगी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने बाबद अनुविभागीय अधिकारी महोदय सोनकच्छ को जनसुनवाई में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र पर राजस्व निरीक्षक सोनकच्छ एवं पटवारी मौजा को भेजकर जॉच प्रतिवेदन मय पंचनामा के लिया गया, जो प्रतिवेदन दिनांक 08.11.19 का प्राप्त होकर प्रकरण में संलग्न है, राजस्व निरीक्षक ने प्रतिवेदन, पंचनामा में बताया है, कि भूमि सर्वे नं. 346 रकबा 0.18 हे. के सीमांकन हेतु गठित दल द्वारा पड़ोसी कृषकों को पूर्व में सूचना कराने के पश्चात विधिवत सीमांकन की कार्यवाही हेतु मौके पर उपस्थित हुए पड़ोसी कृषक एवं पंचगण भी मौके पर उपस्थित हुए, सीमांकन कार्य राजस्व अभिलेख अनुसार मौके का मिलान कर इंदौर–भोपाल मार्ग से व शासकीय नाला एवं पूर्व दिशा कि और वन विभाग कि सीमा से मिलान कर सीमांकन कार्य किया गया, उत्तरी भूजा को सर्वे नं. 337 की मेड से पूर्व–उत्तर की सीमा का सीमांकन किया गया। सीमांकन के पश्चात पत्थर के निशान लगाये गये। सीमांकित सर्वे. 346 रकबा 0.18 हे. पर अनावेदक (अतिक्रामक) प्रताप पिता हिरालाल जाति महाजन निवासी देवास नाका इन्दौर द्वारा बागड़ लगाकर अवैध कब्जा किया गया। इसी प्रकार प्रमोद, राजेश, प्रकाश पिता हिरालाल द्वारा उक्त भूमि सर्वे नं 346 रकबा 0.18 हे. मद चरनोई का संयुक्त रूप से अवैध अतिक्रमण कर कब्जा पाया गया। प्रकरण दर्ज हो। SCN अनावेदकगणों को सूचना पत्र जारी हो। तहसीलदार तहसील सोनकच्छ	5/3/2020 प्राधिकृत अधिकारी समाधान एक दिन सेवा प्रदाय व्यवस्था लोक सेवा केन्द्र सोनकच्छ जिला देवास (म.प्र.)
26.11.19		

26.11.19 प्रकरण पेश।

प्रकरण मे अनावेदक प्रताप केसरी, एवं राजेश केसरी उपस्थित। अनावेदक गण की ओर से आवेदन आदेश 11 नियम 12 आवेदन पेश किया गया।

पेशी - 04.12.19

तहसीलदार
सोनकच्छ, जिला-देवास

26-11-19

04.12.19 प्रकरण पेश।

प्रतिप्रार्थी प्रताप केसरी उपस्थित। पीठासीन अधि० महो० अवकाश पर होने से पेशी बढ़ाई गई।

पेशी - 12.12.19

रिडर

12.12.19 प्रकरण पेश।

प्रार्थी जसपालसिंह उपस्थित। पीठा० अधि० महो० फसल क्षति राहत राशि मे व्यस्त होने से पेशी बढ़ाई गई।

19.12.19

रिडर

19.12.19 प्रकरण पेश।

शिकायतकर्ता जसपाल उपस्थित। अनावेदक उपस्थित। अनावेदक के द्वारा वकील पत्र पेश करने हेतु समय चाहा

पेशी - 02.01.2020

तहसीलदार
सोनकच्छ, जिला-देवास

जसपालसिंह
02.01.2020

14/03/2020
प्राधिकृत अधिकारी
समाधान एक दिन लोक सेवा प्रदाय व्यवस्था
लोक सेवा केन्द्र सोनकच्छ
जिला देवास (म.प्र.)

राजस्व आदेश अनुकृति पत्र

मामला क्रमांक 005/अ-68/2019-20

1	2	3
02-01-2020	प्रकरण पेश। प्रार्थी उपस्थित। अनावेदक को वकिल पत्र पेश करने के लिये अंतिम अवसर दिया गया। पेशी 14-01-2020 (हस्ताक्षर) तहसीलदार सोनकच्छ, जिला-देवास	जसपाल सिंह
14-1-2020	प्रकरण पेश। आवेदक उप.। हल्का पटवारी - रास्ता खुलवाना बाबत प्रतिवेदन हेतु 10/2/2020 (हस्ताक्षर)	जसपाल सिंह 23/01/2020 (हस्ताक्षर) 23/1/2020
7.02.2020	प्रकरण पेश। अवलोकन किया। पटवारी उपस्थित। उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वर्तमान मे ग्रामीणजन व कृषकगण अपनी भूमि पर आना जाना उसी रास्ते से कर रहे है। इस संबंध मे कोई विवाद नही है। अतः प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर)	जसपाल सिंह (हस्ताक्षर) जसपाल सिंह (हस्ताक्षर) 4/3/2020 प्राधिकृत अधिकारी समाधान एक दिन सेवा प्रदाय व्यवस्था लोक सेवा केन्द्र सोनकच्छ

COURT FEE ... INDIA ... CANCELLED

प्रति,

श्रीमान् तहसीलदार महोदय,

तहसील सोनकच्छ

जिला देवास (म.प्र.)

विषय :- रास्ता खुलवा कर के विषय में।

संदर्भ :- श्रीमान के न्याय. के प्र.क्रं./005/अ 68/2019-20 के पालन में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि प.ह.नं. 64 ग्राम-दौलतपुर के आवेदकगण जसपाल वगैरा द्वारा अपनी भूमि में आने-जाने हेतु ग्राम कि शासकीय भूमि सर्वे नं. 346 रकबा 0-18 हे. मद-चारागाह में से रास्ता चाहा गया था। उक्त भूमि का सीमांकन श्रीमान तहसीलदार महोदय सोनकच्छ के ज्ञापन क्रं. पत्र क्रं./1974/ज्ञाप/2019 सोनकच्छ दि. 1.11.19 के पालन में गठित दल द्वारा राजस्व निरीक्षक के सीमांकन कर अतिक्रामक राजेश पिता हीरालाल कछावा वगैरा से अतिक्रमण मुक्त कर ग्रामीणों व जसपाल की भूमि में आने व जाने को लिये लम्बाई 270 फिट व चौड़ाई 50 फिट (उत्तर-दक्षिण 270 फिट) (पूर्व-पश्चिम 50 फिट) का रास्ता खोलकर आवागमन शुरू हो गया है। वर्तमान में ग्रामीणजन व कृषकगणों द्वारा रास्ते से अपनी भूमि पर आना-जाना कर रहे हैं मौके पर रास्ता खुला है कोई विवाद नहीं है। सीमांकन दि. 7.11.19 को गठित दल द्वारा किया गया।

अतः श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर

प्रेषित

(हस्ताक्षर) 4.3.2020

प्राधिकृत अधिकारी
समाधान एक दिन सेवा
प्रदाय व्यवस्था
लोक सेवा केन्द्र सोनकच्छ,
जिला देवास (म.प्र.)

(हस्ताक्षर)
रमेश आशापुरे
पटवारी ह.नं. 64
त. सोनकच्छ
जि. देवास (म.प्र.)

1. LSK रजिस्ट्रेशन क्रमांक : Rs/437/0717/472/2020
2. आवेदन दर्ज दिनांक : 4/03/2020
3. तैयार प्रतिलिपी की पेज संख्या : 04
4. तैयार प्रतिलिपी LSK पर प्राप्त दिनांक : 4/03/2020
5. आवेदक द्वारा प्रतिलिपी प्राप्त करने की दिनांक : 4/03/2020
6. प्रतिलिपी पर चस्पा न्याय शुल्क : 80 रुपये

COURT FEE 20 INDIA

दिनांक 04/03/2020

मौका पंचनामा

हम पंचान पच यह पंचनामा लिख देते है कि आज दिनांक 04/03/2020 को परि.-टोंकखुर्द (प्रा.) के स्टाफ वन रक्षक के बीट तालोद के कक्ष क्र.-55 इन्दौर-भोपाल हाइवे के पास पहुंचे। शिकायत कर्ता श्री प्रमोद केसरी राजेश केसरी द्वारा शिकायत कलेक्टर कार्यालय देवास को की गयी जिसकी जांच शिकायत शाखा की उपस्थिति में की गयी। शिकायत कर्ता द्वारा बताया कि ग्राम दौलतपुर तहसील सोनकच्छ जिला देवास की वन भूमि पर रास्ते निकालने की रिपोर्ट की गयी है। मौके स्थल जांच यह पाया गया कि श्री गजपाल सिंह S/o गणपत सिंह जाति सेंधव अन्य तेज सिंह पिता गंगाराम सेंधव, जगनाथ पिता गंगाराम, मनोहर पिता गंगाराम सेंधव, रूपसिंह माली, मांगीलाल पिता रामसिंह माली नि.-दौलतपुर का शिकायतकर्ता से आपसी रास्ता विवाद है जिसका प्रकरण क्र. 005/अ/68/2019-20 दि. 21/11/19 में पूर्व बताया कि यह प्रकरण माननीय तहसील न्यायालय सोनकच्छ द्वारा सर्वे नं.-346 रकबा 0.18 हे. में अवैध कब्जा श्री प्रमोद केसरी व राजेश केसरी पिता हीरालाल केसरी जाति महाजन नि.-उपरोक्त हो के दी मौके से बेदखल आदेश अवरोध रास्ता पुनः चालू करवाया तथा प्रकरण समाप्त होने के दस्तावेज की छायाप्रति पंचों के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। मौके पर जांच के दौरान वन क्षेत्र C.P.T के किनारे अन्दर की तरफ रास्ता पूर्व से स्थापित है। जंगल में मौके पर 0-20 के कुछ आबेधा कटी हुई पायी गयी। वन क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध नुकसान नहीं होना पाया गया। बाबत मौका पंचनामा हम पंचों के समक्ष बनाया गया। पंचनामा पढ़कर सुना बाद में सही किया जो वक्त जरूरत काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया।

(गणपतसिंह तवर)
गवाह
डी.फा.इ.एस. अपु.रि.

Amit Nevin
अमिताभ नेविन (व.र.)
तालोद

गजपाल सिंह
गजपालसिंह S/o गणपत सिंह

(कमलसिंह S/o भारतसिंह)
नि. लालाखेड़ी

गोपालसिंह
(गोपालसिंह S/o फूलसिंह पंवार)
नि. दौलतपुर

(बजेसिंह S/o रैकारसिंह दायवाज)

मांगीलाल
(मांगीलाल S/o रामजी माली)
नि. दौलतपुर

जगन्नाथसिंह
(जगन्नाथसिंह S/o गंगाराम सेंधव)
नि. दौलतपुर

फुलसिंह
(फुलसिंह S/o दरियाव सिंह)
नि. लालाखेड़ी

कुमेरसिंह
(कुमेर सिंह S/o किशनलाल)
लालखेड़ी

तेजसिंह
(तेजसिंह S/o गंगाराम सेंधव)
नि.-दौलतपुर

बिहारीलाल
(बिहारीलाल S/o पृथ्वी)
नि. रामपुरिया

मनोहरसिंह
(मनोहर सिंह S/o गंगाराम)
नि. दौलतपुर

अमोलीलाल
(अमोलीलाल S/o रामलाल माली
नि. दौलतपुर)

कैलाश

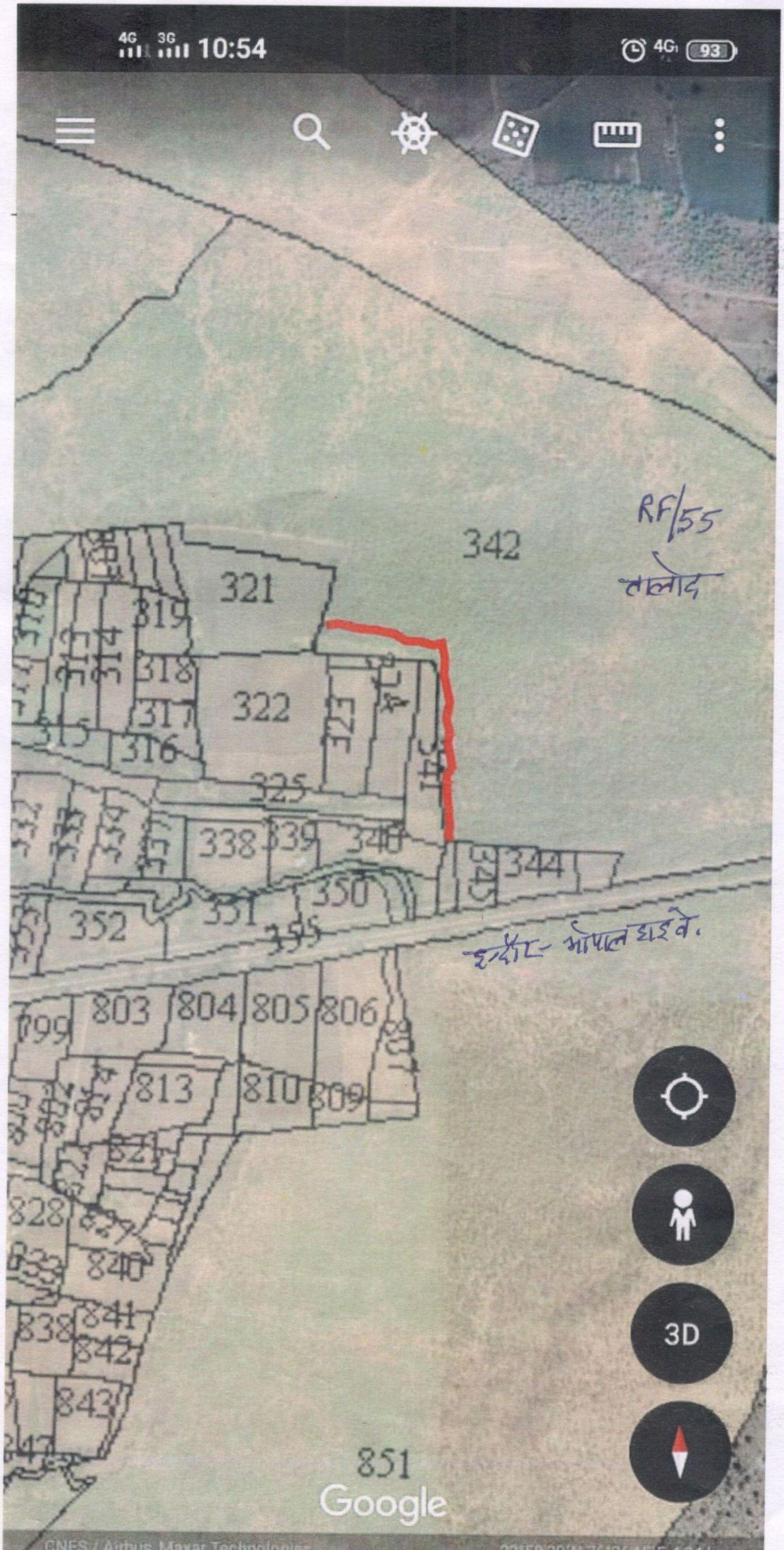

10:54
RF/55
342
तलोद
321
319
318
322
317
316
325
338
339
340
344
350
352
331
इन्दौर- भोपाल हाइवे.
803
804
805
806
813
810
809
828
840
838
841
842
843
851
3D
Google
CNES / Airbus, Maxar Technologies
22°58'20"N 76°26'15"E 4.34 km

बयान

नाम - श्री जसपाल सिंह सेंधव (मो.नं. 9827097897)

पिता - श्री गणपत सिंह सेंधव

निवासी :- दौलतपुर तहसील :- सोनकच्छ जिला देवास

मै आज दिनांक 13/07/2020 को दौलतपुर वन विश्रामगृह परिसर में उपस्थित होकर बयान लिखवाता हूं कि, मुझे श्री राजेश पिता स्व. श्री हीरालाल जी केसरी द्वारा मेरे विरुद्ध कृषि भूमि एवं अन्य शासकिय भूमि अपने कब्जे एवं उपयोग मे लेने तथा वन अधिनियम का उल्लंघन करने बाबद शिकायत को पढ़कर सुनाया गया।

शिकायत मे उल्लेखित कृषि भूमि खसरे नं. 321, 341 323, एवं 324 मेरे स्वयं के एवं मेरे परिवार सदस्यों के आधिपत्य के है। खसरा नं. 345 मेरी जानकारी के अनुसार राजेश पिता स्व. हीरा लाल केसरी के परिवार का है। मेरे द्वारा पुराने समय से रूढ़ीगत रास्ता का उपयोग वनभूमि के भीतर से होकर खेती मे जाने के लिये पहुंच मार्ग के रूप मे उपयोग किया जा रहा है। मेरे द्वारा ना तो रास्ते का नया निर्माण किया गया है, और ना ही जंगल जमीन लगे हुये वृक्ष काटे गये है। इसी विषय मे दिनांक 4/03/2020 को भी मेरे द्वारा जांच अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित होकर पंचनामा बनवाकर हस्ताक्षर किये गये थे। मेरे एवं मेरे परिवार द्वारा किसी भी प्रकार वन नियम अधिनियम का उल्लंघन नही किया गया है। बस यही मेरा बयान है।

जसपाल सिंह

प्रश्न द्वारा - श्री प्रमोद केसरी

प्रश्न - सर्वे नं. 342 मे श्री जसपाल सिंह तथा भाई द्वारा जंगल काटकर नया रास्ता बनाया गया है तथा वृक्षो को हानी पंहुचायी गयी है

उत्तर - सर्वे नं. 342 खसरे नं. की मुझे जानकारी नही है। मेरे आना जाना इन्दौर-भोपालरोड के पास स्थित शासकिय सर्वे नं 346 जो, राजस्व रिकार्ड मे शासकिय चरनोई भूमि पर दर्ज है, से होकर हमारा कृषि कार्य एवं आना जाना करते है। क्यूंकि जन्म से ही हम ग्राम दौलतपुर मे निवास करते है. हमारे द्वारा वन विभाग की भूमि मे खेती भी [illegible]

(हस्ताक्षर)

(हाशिये में:) बयान समक्ष मे लिपिबद्ध किया गया। (हस्ताक्षर) 13/7/20

बयान

नाम !- श्री राजेश पिता श्री स्व. हीरालाल जी डुसरे (मो नं. 9826071111)
निवासी:- हीरायपर देवास नाका लसुडिया मोरी इन्दौर
स्थानीय पता!- ग्राम दौलतपुर सर्वे नं 338 से 351, तह. सोनकच्छ जिला- देवास

मै आज दिनांक 13/07/2020 को अपने भाई श्री प्रमोद के साथ दौलतपुर वन परिसर मे उपस्थित होकर बयान लिखवाता हूँ कि, दिनांक 20/5/2020 को मेरे द्वारा श्री जसपाल सिंह व अन्य के विरुद्ध अवैध रूप से वन भूमि पर नया रास्ता बनाने, वृक्षों को काटने, वन अधिनियम का उल्लंघन करने बाबद शिकायत की गयी थी। अनावेदक द्वारा सर्वे नं 342 मे माह जनवरी 2020 मे नया रास्ता बनाया गया है एवं मार्ग मे आने वाले वृक्ष भी काटे गये है। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा 12 फरवरी 2020 को की गयी थी। मेरी की गयी शिकायत पर ध्यान दिया जावे। सर्वे नं. 346 जो की मेरे कब्जे मे था शासकिय सर्वे नं. है; पर श्री जसपाल द्वारा रास्ता बनाया गया है एवं मेरे द्वारा लगाये हुये पौधो को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इस प्रकार मेरे कब्जे के सर्वे नं. 346 मे नया रास्ता अपने खेत मे आने के लिये बनाया है, इस संबंध मे मेरे द्वारा सिविल मुकदमा दर्ज कराया गया। प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय मे प्रचलित है। सिविल कोर्ट प्रकरण क्र. RCSA 55A/2019 प्रचलित है। एवं अपील केस नं- CAN/23/2020 विचाराधीन है। श्री जसपाल सिंह एवं परिवार के भाईयो का 325 से 323 सर्वे नं. से होकर पुराना गाडा रास्ता है जो आज भी चालु है। कृपया उचित कार्यवाही की जावे। बस यही मेरा बयान है जो की लिखवाया पढ़ा. दस्तखत किया।

(1) [illegible]

(2) [illegible]

बयान समक्ष में लिपिबद्ध किया गया।
[illegible] 13/7/20
उप व.म.अ. देवास

दि. 07/08/2020

मौका पंचनामा

हम पंचान पंचे यह पंचनामा लिखवा देते है कि आज दिनांक 07/8/2020 को श्रीमान उप वन मण्डल अधिकारी महोदय उप वन मण्डल देवास एवं वन स्टाफ के हमराह बीट तालोद के कक्ष क्र. 55 मे हाजिर आये। शिकायत कर्ता श्री राजेश कुमार द्वारा की गयी शिकायत की जांच बाबद हाजिर हुये। मौके का निरीक्षण सूक्ष्मता से किया गया। इन्दौर-भोपाल हाइवे से लगे राजस्व क्षेत्र सर्वे नं. 346 से होकर वन सीमा से C.P.T. के पास 20 मीटर दूरी पर वन सीमा के साथ साथ 425 मीटर लंबाई का रास्ता बना हुआ है रास्ते के आस पास दोनो तरफ 20-20 मीटर क्षेत्र मे जांच की गयी। मौके पर बड़े वृक्ष नही काटे गये है तथा 10 से.मी. से कम गोलाई की झाड़ियों को काटा गया (रास्ता साफ) किया तथा रास्ते मे रुकावट देने वाले वृक्षों की शाखाओं की छंटाई कटी कटी की गयी है। सबब मौका पंचनामा हम पंचो के समक्ष बनाया गया पंचनामा पढ़ पढ़कर सुना आप मे सही किया जो वक्त जरूरत काम आवे। मौके पर KMLZ तैयार की गयी जो रास्ता राजस्व क्षेत्र से होकर सर्वे नं. 342 बीट तालोद के कक्ष 55 मे असपाल सिंह पिता गणपत सिंह सेंधव नि. दौलतपुर के खेत पर जा रहा है। पंचनामा लिखा दिया जो सही है।

पंचनामा मेरे द्वारा
लिपीबद्ध किया गया।

(गणपत सिंह तंवर)
बीटगार्ड [illegible]

AmitNavin
व.र.
तालोद

जसपाल सिंह

प.स.अ. [illegible]

फूलसिंह
(फूलसिंह S/o दरियाव सिंह)

कमलसिंह
कमलसिंह S/o भारतसिंह

[illegible]
C.C.

7/8/20
उप व.म.अ. देवास